I/63771/2023

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(बिहार रुरल डेवलपमेंट सोसाईटी)

दिनांक-:-19-05-2023

प्रेषक

संजय कुमार सिंह,
मुख्य परिचालन पदाधिकारी।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
समस्तीपुर।

विषय: **समस्तीपुर जिला अंतर्गत जिला परिषद, समस्तीपुर द्वारा मनरेगा योजना में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में किए गए कार्यों का भुगतान लंबित रहने के संबंध में।**

प्रसंग : श्रीमती प्रेमलता, सदस्य-सह-पूर्व अध्यक्ष, जिला परिषद, समस्तीपुर के पत्रांक 07 दिनांक 05.04.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत जिला परिषद स्तर से मनरेगा का होल्डिंग खाता (Holding A/c) नहीं खुलने के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 का मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान लंबित होने, निर्गत विभागीय निदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने तथा समस्तीपुर जिले में जिला परिषद स्तर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशक का प्रभार दिए जाने का सूचना उपलब्ध कराया गया है। साथ ही यह भी उल्लेखित है कि उनके पास अन्य संभाग को भी प्रभार है, जिसके कारण मनरेगा कार्य एवं भुगतान लंबित होने की सूचना दिया गया है (सुलभ प्रसंग हेतु पत्र की प्रति संलग्न है)।

अतः अनुरोध हैं कि संलग्न पत्र में वर्णित विषय वस्तु की जाँच अपने स्तर से करते हुए नियमानूकुल कार्रवाई कर उक्त परिवाद का निष्पादन करने की कृपा की जाए । साथ ही कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन

Signed by Sanjay Kumar Singh
Date: 19-05-2023 13:29:58

(संजय कुमार सिंह)
मुख्य परिचालन पदाधिकारी।

प्रतिलिपि: जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रेमलता
सदस्य
—सह—पूर्व अध्यक्ष
जिला परिषद, समस्तीपुर।

Premlata
Member
-cum-Ex. Chairperson
Zila Parishad, Samastipur

पत्रांक : 07 **दिनांक :** 05-04-2023

सेवा में,

आयुक्त, मनरेगा

बिहार सरकार पटना

विषय :- समस्तीपुर जिला अंतर्गत जिला परिषद समस्तीपुर द्वारा मनरेगा योजना में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में किये गए कार्यो का भुगतान लंबित रहने के सम्बन्ध में|

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन पूर्वक कहना है कि मनरेगा योजना अंतर्गत जिला परिषद समस्तीपुर द्वारा अनेको योजनाओ का क्रियान्वन कराया गया था जिसमें अधिकतर योजनाओ का मजदूरी एवं आपूर्तिकर्ताओ का सामग्री भुगतान लंबित है,जिला परिषद कार्यालय से पता चला कि कुछ योजनाओ का FTO बना, लेकिन होलडिंग खाता नहीं खुलने के कारण भुगतान नहीं हो सका। जबकि होलडिंग खाता खोलने के लिए श्रीमान के पत्रांक 346/12.05.2022 पत्र द्वारा निदेशित किया गया था । इसके बाबजूद जिला परिषद् कार्यालय द्वारा जान बुझकर उक्त आदेश का अवहेलना किया गया जिस कारण मजदूरी एवम आपूर्तिकर्ता का सामग्री भुगतान अभी तक लंबित है । पूर्व में जिला परिषद के मुख्य कार्पयपालक पदाधिकारी उप विकास आयुक्त होते थे,लेकिन वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा अपर समारहर्ता को जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है एवम जिला पंचायत राज-पदाधिकारी को अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है, इसके बाद श्रीमान के द्वारा मनरेगा कार्य करने हेतू एवम भुगतान हेतू शीघ्र पत्र निर्गत किया गया था जिसका पत्रांक 575 /06.09.2022 है, उक्त निदेश का भी अनुपालन नहीं किया गया। वर्तमान में निदेशक लेखा प्रशासन एवम स्वनियोजन D R D A को 2nd Sinatory नामित किया गया था, लेकिन समस्तीपुर जिले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशक का प्रभार दिया गया है, उनके पास अन्य संभाग का भी प्रभार रहने के कारण मनरेगा का कार्य एवम भुगतान लंबित है

अतः आग्रह है कि उपर्युक्त बिल्दुओं पर ध्यान देते हुए पुर्व में कराये गए मनरेगा कार्यो में मजदुरी एवं सामग्री आपुर्ति कर्ताओं का बकाया भुगतान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देने की कृपा करेंगे ।

विश्वासभाजन

सदस्य

-सह-पुर्व अध्यक्ष, जिला परिषद समस्तीपुर ।

आवास
ग्राम+पोस्ट—राजाजान, प्रखंड—मोहिउद्दीननगर
जिला—समस्तीपुर (बिहार)
Mobile: 6298861584, 9661084292
E-mail: premlatazps@gmail.com

Generated from eOffice by PRATIBHA KUMARI, BRDS ASST(PK), ASSISTANT, BRDS on 23/05/2023 03:50 pm

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी,पटना

पत्रांक 346 पटना, दिनांक 12-05-2022
(BRDS ग्रा० वि० लेखा 02-2018)

प्रेषक,

सी० पी० खंडूजा
आयुक्त मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा,
सभी उप विकास आयुक्त-सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- मनरेगा अंतर्गत सभी Implementing Agencies (IA's) यथा जिला स्तर, जिला परिषद एवं प्रखंड स्तर पर होल्डिंग खाता खोलने के संबंध में ।

प्रसंग:-ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्रांक N0.PrAO/CCA/MoRD/PFMS/2021-22 दिनांक 17-03-2022।

महाशय,

उपरोक्त विषय प्रासंगिक पत्रों को संलग्न करते हुए कहना है कि आप अवगत हैं कि पूर्व में Royalty, EPF, TDS, Signorage कि कटौती Vendor अथवा कर्मी से कटौती कर जिला/प्रखंड के बैंक खाता में हस्तांतरित होता था और तदोपरांत उसका भुगतान सम्बंधित प्राधिकार/विभाग को किया जाता था। परन्तु वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत 23/03/2021 के पत्र एवं उसके दिशानिदेशों के आलोक में सभी Contingency Accounts बंद कर दिए गए, जिसके कारण Statutory Deduction/Payment के भुगतान में कठिनाई नजर आ रही है । उसके मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा निर्गत Holding Account खोलने के दिशानिदेश के अलोक में BRDS द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिला/ जिला परिषद् एवं प्रखंड स्तर पर Holding Account, State Bank of India में खोले जायेंगे । ये सभी खातें Non-Interest Bearing होंगें । इस संबंध में जिला द्वारा Holding Account खोले जाने एवं operate करने के संबंध में निम्न निदेश दिए जा रहे हैं :-

1.) मनरेगा का State Nodal Account, SBI की 'R' Block Branch में है और वहीं पर बैंक द्वारा सभी Holding Account खोलते हुए जिला और जिला परिषद् का खाता SBI के जिला अवस्थित Main Branch में एवं प्रखंड स्तरीय Holding Account को प्रखंड में अवस्थित बड़े शाखा में स्थानांतरित किया गया है । बैंक द्वारा खाता खोलने के पश्चात जिला स्तर एवं

Generated from eOffice by PRATIBHA KUMARI, BRDS-ASST(PK), ASSISTANT, BRDS on 23/05/2023 03:50 pm

प्रखंड स्तर पर KYC हेतु सम्बंधित बैंक शाखा में हस्तांतरित खाता का सूची पत्र के साथ संलग्न है **(अनुलग्नक-1)**। अनुलग्नक में शाखा का नाम, शाखा प्रबंधक का नाम मोबाइल नम्बर आदि अंकित है। इस संबंध में जिला की मुख्य शाखा के मुख्य प्रबंधक, जिला के उप विकास आयुक्त से सम्पर्क कर प्रखंड स्तरीय शाखाओं का विवरण उपलब्ध कराते हुए खाता से संबंधित पदाधिकारीयों से KYC करवाने में जिला के पदाधिकारीयों और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारीयों को सहयोग करेंगे। सभी खातों का KYC करवाने का कार्य बैंक द्वारा दस (10) दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा।

2.) जिला स्तर पर बैंक खाता का नाम "MGNREGA Holding Account ---------(District Name) रहेगा और इस खाते के धारकों का नाम में जिला पदाधिकारी, उप-विकास आयुक्त एवं दो अन्य पदाधिकारी यथा निदेशक लेखा एवं स्व-नियोजन डी॰आर॰डी॰ए॰, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला वित्त प्रबंधक से किन्ही दो को जिला पदाधिकारी (DPC) के द्वारा नामित किया जाएगा।

3.) जिला परिषद स्तर पर बैंक खाता का नाम "MGNREGA Holding Account ---------(ZP Name) रहेगा और इस खाते के धारकों का नाम में उपविकस आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं निदेशक लेखा एवं स्व-नियोजन डी॰आर॰डी॰ए॰रहेंगे ।

4.) प्रखंड स्तर पर बैंक खाता का नाम "MGNREGA Holding Account -------------(Block Name) रहेगा और इस खाते के धारकों का नाम में कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखंड लेखापाल/ प्रभारी लेखापाल को नामित किया जाएगा।

5.) सम्बंधित क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा खोले गए होल्डिंग खाता को PFMS पर मैप किया जाएगा जिसका Approval एक स्तर ऊपर से प्रदान किया जाएगा। संलग्न सूची (अनुलग्नक-1) अनुसार को PFMS पर मैप करना सुनिश्चित किया जाए और मैप होने के पश्चात प्रखंड स्तरीय होल्डिंग खाता का वेरिफिकेशन जिला स्तर से करवाना सुनिश्चित किया जाए और इस संबंध में **-विहित प्रपत्र (अनुलग्नक-2)** में जिला, जिला परिषद (ZP) एवं प्रखंड से संबंधित बैंक खातों का विवरण BRDS को उपलब्ध करवाया जाए। जिला एवं जिला परिषद् (ZP) का PFMS पर Verification राज्य स्तर से किया जायेगा ।

6.) विभिन्न स्तरों पर खाताधारक और Authorized Signatory निम्न प्रकार होंगे :-

स्तर	खाता धारक	Authorized Signatory (Joint)	OTP for Net Banking
जिला	• जिला पदाधिकारी • उप विकास आयुक्त • निदेशक लेखा एवं स्वनियोजन डी॰आर॰डी॰ए॰ • जिला कार्यक्रम पदाधिकारी / जिला वित्त प्रबंधक	संयुक्त उप विकास आयुक्त एवं कोई एक अन्य	उप विकास आयुक्त

Generated from eOffice by PRATIBHA KUMARI, BRDS-ASST(PK), ASSISTANT, BRDS on 23/05/2023 03:50 pm

जिला परिषद् (ZP)	• उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी • निदेशक लेखा एवं स्वनियोजन डी.आर.डी.ए.	संयुक्त उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं निदेशक डी.आर.डी.ए.	उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
प्रखंड	• कार्यक्रम पदाधिकारी • लेखापाल/प्रभारी लेखापाल	संयुक्त कार्यक्रम पदाधिकारी एवं लेखापाल/प्रभारीलेखापाल	N.A (नेट-बैंकिंग अनुमान्य नहीं होगा)

7.) होल्डिंग खाता Non-Interest Bearing बैंक खाता होगा और इसमें वैधानिक कटौती/भुगतान से संबंधित राशि केवल नरेगासॉफ्ट PFMS module के माध्यम से ही प्राप्त होगी और किसी अन्य स्त्रोत से अथवा कोई अन्य राशि इस खाता में किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं की जाएगी चूँकि इस बैंक खाता में ब्याज प्राप्त नहीं होगा और वैधानिक कटौती का भुगतान तय सीमा के अंतर्गत किया जाना होता है अतः ये भी अनिवार्य है कि वैधानिक कटौती के रूप में प्राप्त राशि का भुगतान सम्बंधित प्राधिकार/विभाग को जल्द से जल्द कर दिया जाए, राशि प्राप्ति (क्रेडिट) की तिथि से अधिकतम 14 दिनों के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसका लगातार जिला स्तर पर अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाए ताकि 14 दिनो के पश्चात किसी भी क्रियान्वयन एजेन्सी के बैंक खाता में वैधानिक कटौती की राशि शेष नहीं रहे और यदि शेष रहती है तो इसको SNA खाता (SBI Bank A/c no:-61310273370, R-Block Branch, IFSC Code:- SBIN0031501) में हस्तांतरित करवा दिया जाए।

8.) SBI Yono Business Vistar (CINB vistar) के वेव पोर्टल/नेट-बैंकिंग के माध्यम से भुगतान (विशेषकर EPF) केवल जिला स्तर पर अनुमान्य होगा जिस हेतु उपरोक्त तालिका के अनुरूप संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता द्वारा वैधानिक कटौती के भुगतान से संबंधित Transaction किया जायेगा । प्रखंड स्तर पर सभी प्रकार की वैधानिक कटौती (रॉयल्टी, TDS on Income Tax, TDS on GST आदि) का भुगतान, भुगतान आदेश के माध्यम से ही किया जाएगा (वेव पोर्टल/नेट-बैंकिंग के माध्यम से नहीं)। जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर Cheque के माध्यम से भुगतान पर रोक रहेगी । ससमय भुगतान और मात्र वैधानिक कटौती से संबंधित भुगतान की मूल जबाबदेही जिला स्तर पर उप-विकास आयुक्त की, जिला परिषद स्तर पर उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी।

Generated from eOffice by PRATIBHA KUMARI, BRDS-ASST(PK), ASSISTANT, BRDS on 23/05/2023 03:50 pm

9.) वैधानिक कटौती से सम्बंधित होल्डिंग खाता में प्राप्त राशि और उसके भुगतान का अनुश्रवण के लिए संलग्न प्रपत्र में सभी क्रियान्वयन एजेन्सी के द्वारा पंजी का संधारण सुनिश्चित करेंगे अतः अनुरोध है कि यथाशीघ्र क्रियान्वयन एजेन्सी के स्तर पर खोले गए बैंक खातों का KYC करवाने एवं खाता को PFMS पर मैप करने का कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए और इस संबंध में दिए गए निदेशों का अक्षरसः DPC के स्तर पर सुनिश्चित किया जाए ।

अनुलग्नक :-यथोक्त।

विश्वासभाजन

12.5.22

सी0 पी0 खंडूजा
आयुक्त मनरेगा ।

ज्ञापांक 346
(BRDS ग्रा० वि० लेखा 02-2018)

पटना, दिनांक 12-05-2022

प्रतिलिपि :-वित्त नियंत्रक, बी.आर.डी.एस., पटना को देते हुए निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक माह वैधानिक कटौती और उसके ससमय भुगतान का PFMS पर अनुश्रवण करते हुए जिलावार और प्रखंडवार प्रतिवेदन अगले माह की द्वितीय सप्ताह की बैठक में उपलब्ध करवायेंगे ।

प्रतिलिपि :- सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/जिला अंकेक्षण प्रबंधक/ जिला वित्त प्रबंधक को देते हुए निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक माह वैधानिक कटौती और उसके ससमय भुगतान का PFMS पर अनुश्रवण करते हुए प्रखंडवार प्रतिवेदन विभागीय बैठक/VC में उपलब्ध करवायेंगे ।

12.05.22

आयुक्त मनरेगा ।

ज्ञापांक 346
(BRDS ग्रा० वि० लेखा 02-2018)

पटना, दिनांक 12-05-2022

प्रतिलिपि :- सचिव,ग्रामीण विकास विभाग, पटना, को सूचनार्थ प्रेषित ।

12.05.22

आयुक्त मनरेगा ।

Generated from eOffice by PRATIBHA KUMARI, BRDS-ASST(PK), ASSISTANT, BRDS on 23/05/2023 03:50 pm

बिहार सरकार
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी
(ग्रामीण विकास विभाग)

पत्रांक सं० 575 दिनांक: 06/09/2022
सं०सं० BI-558/25/2020-SEC_01-BRDS-BRDS

प्रेषक,

राहुल कुमार, भा०प्र०से०,
आयुक्त, मनरेगा।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत जिला परिषद से क्रियान्वित योजनाओं के भुगतान में 2nd Signatory नामित किए जाने के संबंध में ।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जिला परिषद से क्रियान्वित योजनाओं के भुगतान में 2nd Signatory के रूप में **निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (Director, DRDA)** को नामित किया जाता है। इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक 980 दिनांक 26-05-2020 में वर्णित निदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

उपरोक्त प्रस्ताव पर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

Sd/- 05.9.22

(राहुल कुमार)
आयुक्त, मनरेगा।

प्रतिलिपिः सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, बिहार को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Generated from eOffice by PRATIBHA KUMARI, BRDS-ASST(PK), ASSISTANT, BRDS on 23/05/2023 03:50 pm